

प्रार्थी श्री नाथु व अन्य
किस्म मुकदमा धारा-212 राज. काश्त. अधिनियम

विपक्षी श्री आलाजी व अन्य
प्रकरण संख्या 23/2020

कार्यवाही विवरण

—:आदेश:—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का ईडाणा की आराजी नम्बर 1081 रकबा 0.86 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 1082 रकबा 0.60 हैक्टेयर प्रार्थीगण के आराजीयात की भूमि मे बेजामजाहमत व दलखलंदाजी नही करे।

विपक्षीगण ने बहस मे तर्क दिया है कि सीमा जानकारी के अभाव मे विवाद उत्पन्न हो रहा है जिसके लिये विपक्षीगण अपनी आराजीयात की सीमा जानकारी कराने हेतु स्वतन्त्र है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय दिनांक 07/01/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



५
(पर्वत सिंह चूण्डावत)
सहायक उपखण्ड अधिकारी
सलूमबर